न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 33/2025

दिनांक 22/5/25

2025/268

अनवान

[illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible]
निवासी [illegible] तह. बेगूं

प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

[illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible]
निवासी [illegible] तह. बेगूं

विपक्षी/विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने ::

न्यायालय में अधिवक्ता श्री [illegible] के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा [illegible] पटवार हल्का [illegible] की आराजी संख्या 1055/262 कुल कीता- 01 कुल रकबा 0.4050 हे. कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतःप्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा [illegible] पटवार हल्का [illegible] की आराजी संख्या 1055/262 कुल कीता- 01 कुल रकबा 0.4050 भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :– प्रार्थना पत्र
कीता–(1)

उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/2025/346 दिनांक :- 22/5/25

प्रार्थना पत्र संख्या 33/25 व अनवान [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

नोट - [illegible] रिपोर्ट व [illegible] सहित पुनः लौटावें।

उपखण्ड अधिकारी,बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)